

व्यवसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक लि. मुरैना की 50वीं वार्षिक साधारण सभा (सम्मिलन) का आयोजन आज दिनांक 21.09.2025 दिन रविवार को मध्यान्ह 02:00 बजे 'द ग्रांड गुफ्टा बैंकेट' माधोपुरा की पुलिया मुरैना (म.प्र.) पर निम्नलिखित विषयों पर विचारार्थ आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्रीमती गीता गोयल अध्यक्ष द्वारा की गई।

वार्षिक साधारण सभा (सम्मिलन) का शुभारम्भ 'अध्यक्ष' श्रीमती गीता गोयल द्वारा माँ सरस्वती जी का माल्यार्पण कर व उनके सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया उपस्थित संचालक मण्डल के उपाध्यक्ष एवं संचालकगणो तथा सी.ई.ओ. द्वारा भी माँ सरस्वती जी को माल्यार्पण किया गया। बैठक प्रारम्भ होने के समय 358 सदस्य महानुभाव साधारण सभा में उपस्थित हो चुके हैं। कार्यक्रम में म.प्र. विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री नरेन्द्र सिंह जी तोमर मुख्यअतिथि एवं मुरैना-श्यापुर लोकसभा से सांसद श्री शिवमंगल सिंह तोमर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

बैंक की अध्यक्ष श्रीमती गीता गोयल द्वारा साधारण सभा में उपस्थित मुख्यअतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का स्वागत फूलों का गुलदस्ता एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। अध्यक्षीय उद्बोधन में सदस्य महानुभावों संचालक मण्डल के पदाधिकारियों संचालकगणो, सहकारिता के अधिकारियों का स्वागत करते हुए, बैंक की प्रगति पर प्रकाश डाला गया तथा सभी सहयोगियों का सहयोग करने पर आभार व्यक्त किया गया। तदुपरात बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अर्जुन सिंह परिहार द्वारा सभा में उपस्थित मुख्यअतिथि एवं विशिष्ट अतिथि, बैंक की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालकगण, बी.ओ.एम. के अध्यक्ष व सदस्यगण तथा बैंक के सदस्य महानुभावों का स्वागत अभिनन्दन करते हुए, बैंक की साधारण सभा में विषय सूची (एजेण्डा) पर विचार-विमर्श कर स्वीकृति हेतु निर्णय लिए जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रस्ताव	ठहराव
1. गत 49वीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 22.09.2024 का पुष्टिकरण।	1. बैंक की वार्षिक साधारण सभा (सम्मिलन) गत 49वीं साधारण सभा का आयोजन दिनांक 22.09.2024 को किया गया, कार्यवृत्त पुस्तिका में कार्यवृत्तों का पठन कर सुनाया गया साधारण सभा की बैठक एवं कार्यवृत्तों की पुष्टि हेतु अवलोकनार्थ विचारार्थ प्रस्तुत। प्रस्तुत कार्यवृत्त पुस्तिका का अवलोकन किया गया, विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 22.09.2024 को आयोजित वार्षिक साधारण सभा की कार्यवृत्त पुस्तिका एवं कार्यवृत्तों की पुष्टि की जाती है।
2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं 2024-25 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों एवं लाभ-हानि पत्रकों का अनुमोदन।	2. बैंक के वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं वर्ष 2024-25 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों को स्वीकृति प्रदान करने अनुमोदन करने पुष्टि करने हेतु वार्षिक साधारण सभा में विचारार्थ प्रस्तुत। वार्षिक प्रतिवेदन की प्रिन्टेड प्रतियां सभी सदस्य महानुभावों को उपलब्ध कराई गई है मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन सदन में पढकर सुनाया गया। अंकेक्षित बैलेन्स सीट, लाभ-हानि पत्रक, ऑडिट प्रमाण-पत्र अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत बैलेन्स सीट, लाभ-हानि पत्रकों को ऑडिट प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कि पत्रकों को स्वीकृति प्रदान करते हुए पुष्टि की जाती है।
3. वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित बजट की स्वीकृति प्रदाय करने पर विचार।	3. बैंक का वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रस्तावित बजट (अनुमानित) वित्तीय वर्ष 2026-2027 (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027) तक आय-व्यय बैंक की वार्षिक साधारण सभा में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत, प्रस्तुत प्रस्तावित



(अनुमानित) बजट आय-व्यय का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित बजट आय-व्यय वित्तीय वर्ष 2026-2027 की निम्नानुसार प्रदाय की जाती है।

“वित्तीय वर्ष 2026-2027 का स्वीकृत बजट 'आय' (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक)

क.	विवरण आय	स्वीकृत बजट 2025-26	प्रस्तावित बजट 2026-27
1	व्याज प्राप्त ऋणों पर	142500000.00	147500000.00
2	व्याज प्राप्त अमानतों व प्रतिभूतियों पर	70000000.00	82500000.00
3	प्रवेश शुल्क सदस्यों से	10000.00	10000.00
4	इन्सीडेन्टल, कमीशन आदि	3000000.00	6250000.00
5	लॉकर्स किराया	625000.00	750000.00
6	लोन प्रोसेसिंग, रिन्युअल फीस	251000.00	275000.00
	योग	216386000.00	237285000.00

वर्ष 2025-26 का प्रस्तावित बजट 'व्यय स्वीकृति' (01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक)

क.	विवरण नाम मद व्यय	स्वीकृत बजट 2025-26	प्रस्तावित बजट 2026-27
	व्याज दिया अमानतों पर		
1	व्याज दिया सावधि जमा पर	85000000.00	92500000.00
2	व्याज दिया सेविंग जमा पर	20000000.00	20000000.00
3	व्याज दिया रिकरिंग जमा पर	3000000.00	2500000.00
4	व्याज दिया जनता डिपोजिट पर	1500000.00	1500000.00
5	व्याज दिया अनिवार्य अमानत पर	500000.00	350000.00
6	कमीशन जनता डिपोजिट	2000000.00	2000000.00
	स्थापना व्यय		
7	वेतन कर्मचारियान	20000000.00	0.00
8	मंहगाई भत्ता कर्मचारियान	14000000.00	0.00
9	चिकित्सा भत्ता कर्मचारियान	2500000.00	0.00
10	की अलाउन्स	10000.00	0.00
11	भवन किराया भत्ता कर्मचारियान	500000.00	0.00
12	वेतन कर्मचारियान (नवीन हेड)	0.00	36000000.00
13	अल्प कालिक कार्यकर्ता एलाउन्स	2000000.00	2000000.00

2

14	अतिथि भविष्य निधि	3500000.00	3500000.00
15	यात्रा भत्ता कर्मचारियान	500000.00	800000.00
16	एक्टिंग एलाउन्स कर्मचारियान	600000.00	0.00
17	बर्दी भूत्यगण	100000.00	0.00
	व्यवस्थापन व्यय		
18	विविध व्यय	1000000.00	1000000.00
19	कन्टिनजेन्सी	800000.00	1000000.00
20	टिकिट पोस्टेज एवं कोरियर	100000.00	100000.00
21	टेलीफोन फ़ैक्स व्यय आदि	250000.00	350000.00
22	कार्यालयीन विद्युत व्यय	1200000.00	1500000.00
23	टायपिंग एवं फोटोस्टेट	500000.00	600000.00
24	प्रचार एवं विज्ञापन	500000.00	600000.00
25	स्टेशनरी एवं फार्म आदि	600000.00	1000000.00
26	कार्यालय भवन किराया	2500000.00	2500000.00
27	क्लीयरिंग इन्सीडेन्टल	50000.00	50000.00
28	बीमा व्यय (बैंकर्स ब्लॉकट पॉलिसी)	150000.00	150000.00
29	प्रीमियम डिपो. इश्योरेन्स	3000000.00	3500000.00
30	फीस लीगल एडवाइजर एवं कोर्ट फीस	300000.00	250000.00
31	छीजन फर्नीचर	1500000.00	2000000.00
32	छीजन बैंक क्लीकल	55000.00	100000.00
33	स्टॉक फार्म	800000.00	800000.00
34	आम सभा व्यय	1500000.00	1000000.00
35	वाहन व्यय	300000.00	600000.00
36	वृत्तिकर	5000.00	5000.00
37	कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय	500000.00	700000.00
38	खेल कूद एवं सांस्कृतिक व्यय	50000.00	50000.00
39	चन्दा जिला सहकारी संघ	200000.00	200000.00
40	ए.एम.सी. एवं अन्य व्यय आदि	250000.00	350000.00
41	रिपेयरिंग एण्ड मेन्टीनेन्स	500000.00	500000.00
42	कम्प्यूटर हार्डवेयर एसोसरीज	350000.00	500000.00

3

43	प्रीमियम गर्वन्मेन्ट सिक्यूरिटी	100000.00	200000.00
44	सी.बी.एस. सॉफ्टवेयर सर्विसेस चार्जेस	500000.00	1000000.00
45	सिटिंग फीस संचालक मण्डल	150000.00	350000.00
46	प्रशासनिक प्रभार	300000.00	300000.00
47	बैंक इनकमटेक्स	16000000.00	18000000.00
48	ऑडिट फीस	1000000.00	1200000.00
49	प्रोफेशनल फीस	500000.00	500000.00
50	ग्रेज्युटी फंड एवं लीव इनकेशमेन्ट	6000000.00	6000000.00
51	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर व्यय	500000.00	700000.00
52	बैंक वेव व्यय	300000.00	300000.00
53	सेन्ट्रल एवं स्टेट जी.एस.टी.	1000000.00	1000000.00
54	विनियोजन अवक्षयण निधि	500000.00	800000.00
55	सी.आई.सी. व्यय	100000.00	100000.00
56	वसूली खर्च	3000000.00	6000000.00
	पूँजीगत व्यय		
57	फर्नीचर (कम्प्यूटर एवं इलेक्ट्रिक आइटम)	3000000.00	3000000.00
58	लाभ	10766000.00	17280000.00
	योग	216386000.00	237285000.00

4. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बैंक लक्ष्य एवं विकास कार्यक्रम स्वीकृत करने पर विचार ।

4. बैंक का वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य एवं विकास कार्यक्रम तैयार किया जाकर स्वीकृति हेतु वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत ।

कं.	मद-विवरण	निर्धारित लक्ष्य 2025-26	प्रस्तावित लक्ष्य 2026-27
1	सदस्यता	1000 सदस्य	2500 सदस्य
2	अंश पूँजी	40.00 लाख	75.00 लाख
3	निधियां (कोष)	225.00 लाख	225.00 लाख
4	अमानतें	1100.00 लाख	1000.00 लाख
5	ऋण वितरण	1000.00 लाख	2000.00 लाख
6	कार्यशील पूँजी	1250.00 लाख	1250.00 लाख
7	कालातीत ऋण की वसूली	90%	85%

विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार लक्ष्य एवं विकास कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लाभ विभाजन की स्वीकृति पर विचार।

5. बैंक की उपविधि क्रमांक 44 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लाभ का विभाजन किया गया है। बैंक द्वारा राशि 9684298.64 का लाभ अर्जित किया गया है स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत। प्रस्तुत लाभ विभाजन का अवलोकन किया गया, विचार-विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया, कि लाभ का विभाजन निम्नानुसार स्वीकृत।

क्र.	नाम मद	प्रतिशत	राशियां
1	रिजर्व फण्ड प्रारक्षित निधि	35%	3389504.00
2	डूवन्त ऋण प्रारक्षित निधि	5%	484215.00
3	धर्मादा कोष	1%	96843.00
4	भवन कोष	42%	4067405.64
5	लाभांश समीकरण निधि	10%	968430.00
6	विनियोजन उतार चढाव निधि	5%	484215.00
7	कर्मचारी प्रशिक्षण निधि	2%	193686.00
	योग	100%	9684298.64

6. म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49(7) के अनुसार बैंक संचालक मण्डल के सदस्यों उनके कुटुम्बियों व निकट रिश्तेदारों पर बकाया उधार/अग्रिम की जानकारी प्रस्तुत।

6. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49(7) के अनुसार बैंक के संचालक मण्डल के सदस्यों पर बकाया उधार/अग्रिम की जानकारी से सदन को सूचित करते हुये हर्ष होता है कि संचालक मण्डल के सदस्यों उनके कुटुम्बियों व उनके रिश्तेदारों पर कोई भी ऋण/उधार बकाया नहीं है। प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 49(7) के अन्तर्गत तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत, संचालक व उनके रिश्तेदारों पर ऋण बकाया नहीं होने की पुष्टि कर अनुमोदन किया जाता है।

7. बैंक का वैधानिक अंकेक्षण वित्तीय वर्ष 2025-26 का करवाये जाने हेतु वैधानिक संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म की नियुक्ति करने पर विचार।

7. संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 09.07.2025 के संकल्प क्रमांक 13 द्वारा दिये गये निर्णय अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अंतर्गत वैधानिक अंकेक्षण वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वैधानिक संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म में एस.पी.जे.व्ही एण्ड कंपनी भोपाल को पुर्ननियुक्ति/रिन्यूवल किये जाने का निर्णय लिया गया है विकल्प के रूप में संपरीक्षक फर्म में गुप्ता जेसवानी एण्ड कंपनी, ग्वालियर रहेगी। प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जावे।

अतः मैं एस.पी.जे.व्ही एण्ड कंपनी भोपाल को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये वैधानिक अंकेक्षण की पुर्ननियुक्ति/रिन्यूवल अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मैं एस.पी.जे.व्ही एण्ड कंपनी भोपाल को वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु पुर्ननियुक्ति रिन्यूवल का अनुमोदन किया जाता है।

8. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सूचनाओं का प्रकटीकरण करने वावत्, जानकारी प्रस्तुत।

8. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सूचनाओं के प्रकटीकरण संबंधी मानदण्डों के अंतर्गत जानकारी निम्नानुसार अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

“शहरी सहकारी बैंक के लिए निर्धारित किये गये सूचनाओं के प्रकटीकरण संबंधी मानदंड

31.03.2025 की स्थिति पर।

(राशि लाखों में)

1- जोखिम भारित अस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सी.आर. आर.) 25.11 प्रतिशत

2- सी.आर.ए.आर. में उत्तर चढ़ाव 2023-24 2024-25 में  
22.15% 25.11%

3- निवेश

(अ) निवेशों का वही मूल्य 7972.11 (शासकीय प्रतिभूतियों)

(ब) निवेशों का अंकित मूल्य 8050.00

(स) निवेशों का बाजार मूल्य 8136.94

(द) गैर एस.एल.आर. निवेश और गैर अनर्जक गैर एस.एल.आर. निवेश के संबंध में जारीकर्ता संगठन का विवरण।

गैर एस.एल.आर. प्रतिभूतियों में निवेशों का जारीकर्ता संगठनों की संरचना।

सं.	जारीकर्ता	राशि	निवेश ग्रेड से नीचे का प्रतिभूतियों की राशि	रेटिंग हत अनरेटेड प्रतिभूतियों की राशि	असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश की राशि
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पी.एस.यू.एस.	निल	निल	निल	निल
2.	वित्तीय संस्थायें	निल	निल	निल	निल
3.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	3147.63	निल	निल	निल
4.	म्युचुअल फण्ड	निल	निल	निल	निल
5.	अन्य	निल	निल	निल	निल
6.	मूल्य-हास के लिए धारित प्रावधान	निल	निल	निल	निल

अनर्जक गैर एस.एल.आर. में निवेश

ब्यौरे राशि (रु. करोड में)

प्रारम्भिक शेष राशि निल

1 अप्रैल के बाद वर्ष के दौरान

किये गये अन्य निवेश निल

उपयुक्त अवधि के दौरान घटाव निल

अंतिम शेष राशि निल

प्रावधान के लिए धारित कुल राशि निल

4-

(1) स्थावर संपदा निरंक

(2) कारोबार (व्यापारिक ऋण) 231.82

(3) आवास निर्माण एवं आवास कृय 2086.12

(5) शेयर व डिबेंचर्स के प्रति अग्रिम निरंक

15

(6) निर्देशकों उनके रिश्तेदारों को दिये गये अग्रिम तथा उन कम्पनियो/फर्मों को दिये गये अग्रिम जिनमें इन निर्देशकों व उनके रिश्तेदारों का हित निहित है

(अ) निधिक संबंधी अग्रिम निरंक

(ब) गैर निधिक संबंधी अग्रिम निरंक

(गारंटिया, साख-पत्र एल.सी. आदि)

7- जमाराशि की लागत जमा राशि का औसतन लागत 6.31 प्रतिशत

8- अनर्जक अस्तियां (एन.पी.ए.)

(अ) सकल एन.पी.ए. 3438.88 33.09%

(ब) निवल एन.पी.ए. 0.0 0.00%

9- तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में सकल व निवल एन.पी.ए. की स्थिति। निवल एन.पी.ए. की गणना प्रावधान के लिए रखी गयी है राशि और उचित खाता में रखी गई ब्याज राशि को घटाकर की जाए ।

10- लाभ प्रदता:-

(क) कार्यकारी निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय 6.60%

(ख) कार्यकारी निधि के प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज अन्यआय 0.19%

(ग) कार्यकारी निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन व्यय 2.37%

(घ) अस्तियों से प्राप्त आय राशि 0.40%

(ङ) कारोबार (जमा राशि+अग्रिम) प्रति कर्मचारी के हिसाब से 1251.13 लाख

(च) प्रति कर्मचारी के हिसाव से लाभ 4.40%

11- एन.पी.ए. निवेश में मूल्यहास मानक अस्तियों के प्रति किये गये प्रावधान

(अ) एन.पी.ए. के प्रति प्रावधान 3604.92 लाख

(ब) मूल्य हास के प्रति प्रावधान निरंक

12- प्रावधान में उतार-चढ़ाव (अर्थात चालू वर्ष के लिए तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार प्रावधान)

31.03.2024 31.03.2025

(अ) एन.पी.ए. के प्रति प्रावधान 3175.20 3175.20

(ब) निवेश में हुए मूल्य हास के प्रति प्रावधान 42.51 42.51

(स) मानक अस्तियों के प्रति प्रावधान 39.50 39.50

13- विदेशी मुद्रा आस्तियों व देयताएं (यदि लागू हो तो) निरंक

14- डी.आई.सी.जी.सी बीमा प्रीमियम का भुगतान नियमित किया जा रहा है - निरंक निरंक

15- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया जुर्माना - निरंक

16- पुनरचित खाते - निरंक

शहरी सहकारी बैंको से अपेक्षित है कि वे अपने प्रकाशित तुलन-पत्र में लेखे पर टिप्पणियों के अनतर्गत निम्नलिखित फार्मेट पुनरचित अग्रिमों की संख्या व राशि पुनरचित अग्रिमों के उचित मूल्य में हुई कमी की मात्रा सम्बन्धी जानकारी प्रकट करें ।

“पुनरचित खातो के ब्यारे” (लाख रूपयें में)

राशि लाख रूपयों में				
"पुनरचित खातों के व्यौरे"				
		आवास ऋण	एस.एम.ई ऋण पुनरचना	अन्य ऋण
पुनरचित मानक अग्रिम	उधारकर्ता की संख्या बकाया राशि घाटा उचित मूल्य की कमी			
पुनरचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ता की संख्या बकाया राशि घाटा उचित मूल्य की कमी			
पुनरचित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ता की संख्या बकाया राशि घाटा उचित मूल्य की कमी			
कुल	उधारकर्ता की संख्या बकाया राशि घाटा उचित मूल्य की कमी			निरंक

9. वित्तीय वर्ष 2024-25 के स्वीकृत बजट से अधिक व्यय की स्वीकृति/अनुमोदन करने पर विचार।

9. वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत बजट से अधिक व्यय कुछ मदों में हुआ है व्यय की स्वीकृति/अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

क्रं.	नाम मद	स्वी. बजट	वास्त. व्यय अति. बजट
1-	वसूली खर्च	0.00	4855672.00
2-	विनियोजन अवक्षय निधि	500000.00	1000000.00

500000.00 500000.00

स्वीकृत बजट से अधिक व्यय का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के स्वीकृत बजट से अधिक व्यय की गई राशियों की पुष्टि करते हुए अनुमोदन किया जाता है।

10. आयुक्त सहकारित एवं पंजीयक महोदय, सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल की एक मुश्त जमा समझौता योजना 2023 के अन्तर्गत ब्याज में दी गई छूट की स्वीकृति प्रदाय किये जाने पर विचार।

10. बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक मुश्त समझौता योजनान्तर्गत निम्नलिखित एन.पी.ए. खातेदारों से समझौता कर ऋण प्रकरणों में ब्याज में छूट प्रदाय की गई है अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

क्रं.	ऋणी का नाम	ऋण खाता क्रं.	वसूली योग्य राशि	ब्याज दी गई छूट राशि	वसूल की गई राशि
1	मै. मोबाइल प्लाजा	010200064701	1591822.00	1009074.00	582748
2	श्री पुरुषोत्तम सिंह गुर्जर	013300010601	1361101.00	663253.00	697748

विचार-विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त खातों में ओ.टी.एस. के अन्तर्गत ब्याज में दी गई छूट की स्वीकृत प्रदान की जाती है।

11. बैंक द्वारा अंशधारी सदस्यों के लिये लाभान्श घोषित किये जाने की

संचालक मण्डल का संकल्प क्रं. 14.08.2025 द्वारा निर्णय लिया गया कि बैंक के अंशधारी सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2024-25 की जमा अंशराशि पर 10 प्रतिशत से लाभान्श प्रदान किया जाना प्रस्तावित

स्वीकृति पर विचार।

किया जाता है। जिसकी स्वीकृति साधारण सभा से प्राप्त की जावे। विचारार्थ प्रस्तुत। विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि कट ऑफ दिनांक 31.03.2025 रहेगा लाभांश 10 प्रतिशत स्वीकृत किया जाता है।

12. बैंक की उप विधि क्रं. 8 हिस्से (शेयर्स) में संशोधन की स्वीकृति पर विचार।

बैंक की उप विधि क्रं. 8 के अनुसार हिस्से (शेयर्स) धारण की अधिकतम राशि रूपये 500000.00 है। चूंकि मध्यप्रदेश सहकारी सोयासटी अधिनियम 2025 में संशोधन उपरान्त अब अंशपूजी 5 प्रतिशत स्वीकृत ऋण के अनुपात से सदस्यों को जमा करानी होगी, अतः अंशपूजी की अधिकतम सीमा में संशोधन करने हेतु उपविधियों में 10 लाख तक की सीमा का निर्धारण करवाया जाना है। अतः संचालक मण्डल के निर्णय क्रं. 18.1 दिनांक 14.08.2025 में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

वर्तमान उपविधि

बैंक की उपविधि क्रं. 8 के अनुसार हिस्से (शेयर्स) बैंक की अधिक हिस्सा पूंजी 5.00 लाख रूपये होगी जो कि निम्नानुसार रीति से विभक्त की जावेगी।

हिस्से का प्रकार	हिस्से की संख्या	प्रत्येक का मूल्य	कुल मूल्य
सदस्य के लिये	500000.00	100.00	50000000.00

संशोधित उपविधि

बैंक की उपविधि क्रं. 8 के अनुसार हिस्से (शेयर्स) बैंक की अधिक हिस्सा पूंजी 10.00 लाख रूपये होगी जो कि निम्नानुसार रीति से विभक्त की जावेगी।

हिस्से का प्रकार	हिस्से की संख्या	प्रत्येक का मूल्य	कुल मूल्य
सदस्य के लिये	1000000.00	100.00	100000000.00

उपविधि क्रं. 8 में संशोधन हेतु प्रस्ताव श्रीमान् संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, चम्बल संभाग मुरैना के माध्यम से श्रीमान् आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक संस्थाएं भोपाल की ओर प्रेषित किया जाना उचित होगा। विचारार्थ प्रस्तुत हैं सर्वसम्मति से संशोधन किये जाने का अनुमोदन किया गया।

13. अन्य विषय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से।

13. कुछ अन्य आवश्यक विषय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से विचारार्थ प्रस्तुत।

13.1 ए.जी.एम. व्यय, कम करने, कर्मचारियों को एक्स ग्रेसिया व उपहार स्वीकृत करने, बैंक की शाखाएं खोलने, बैंक का स्वयं का परिसर, लिए जाने तथा सदस्यता बढ़ाये जाने पर विचार।

13.1 अन्य आवश्यक विषय जो कि बैंक की साधारण सभा में अध्यक्ष महोदया की अनुमति प्राप्त कर विचार करने व निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत।

बैंक के सदस्य श्री लक्ष्मी नारायण गोयल द्वारा ए.जी.ए. की सूचना डाक द्वारा भेजने पर आने वाले खर्चे पर कमी करने का प्रस्ताव प्रेषित किया। बैंक का नेट एन.पी.ए. 0 प्रतिशत हो जाने पर बोर्ड तथा कर्मचारियों को धन्यवाद प्रेषित किये जाने तथा कर्मचारियों को एक्स ग्रेसिया व उपहार दिये जाने हेतु प्रस्ताव रखा गया, ए.जी.ए. में उपस्थिति सदस्यों द्वारा ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया गया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बतलाया गया कि सहकारी ससोइटी अधिनियम 1960 के अन्तर्गत सूचना डाक से प्रत्येक सदस्य को भेजी

जाना अनिवार्य है जब तक एक्ट में कोई संशोधन नहीं होता है तब तक कोई भी निर्णय लिया जाना बैंक स्तर पर संभव नहीं है।

सदस्य श्री राजकुमार दुबे, सदस्य श्री बल्लभ डण्डौतिया सदस्य श्री उपेन्द्र गौतम, सदस्य श्री रमेश सिंह कुशवाह, सदस्य श्री प्रभुदयाल गोयल सदस्य श्री बच्चूलाल गुप्ता, सदस्य श्री राकेश भटनागर द्वारा बैंक की नई शाखाएं खोलना स्वयं का परिसर (बैंक भवन) बनाना तथा नवीन सदस्यता बढ़ाने बावत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

आम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा बैंक की नई शाखायें विधिवत् खोले जाने बावत् प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई ए.जी.एम द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि बैंक की नवीन शाखा अम्बाह, पोरसा, कैलारस व बड़ौदा, विजयपुर में खोली जाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बतलाया गया कि बैंक में सदस्यता (ओपन) हैं, कोई भी प्रवेश शुल्क 10.00 रुपये, अंशपूजी 100.00 रुपये अनिवार्य अमानत 100.00 रुपये जमा करने के साथ फोटो तथा के.वाई.सी. दस्तावेज प्रस्तुत कर बैंक की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। माननीय सांसद श्री शिवमंगल सिंह जी तोमर द्वारा अपने उद्बोधन में सहकारिता क्षेत्र में विस्तार करने तथा सहकारिता के माध्यम से लाभ प्राप्त कैसे किया जा सकता है प्रकाश डाला गया तथा अपने अनुभव साझा किये गये।


माननीय श्री नरेन्द्र सिंह जी तोमर "विधानसभा अध्यक्ष" म.प्र. विधान सभा, भोपाल द्वारा बैंक की अध्यक्ष, संचालक मण्डल के सदस्यों, बी.ओ.एम. के सदस्यों तथा उपस्थित सदस्यगणों व अमानतदारों को बैंक द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों के लिये शुभकामनायें प्रेषित करते हुये बैंक तथा बैंक के कर्मचारियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना परमपिता परमेश्वर से करते हुये बैंक की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मुरैना-श्यापुर जिले की जनता से प्राप्त करने की अपील की तथा धन्यवाद ज्ञापित किया एवं बचत माह में श्रेष्ठ जमा कर्ताओं को उपहार भी भेंट किये।

श्रीमती उमा अग्रवाल उपाध्यक्ष द्वारा बैंक की वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित अतिथिगण बी.ओ.डी. तथा बी.ओ.एम. सदस्यों तथा उपस्थित अमानतदारों तथा बैंक के सदस्य महानुभावों एवं बैंक स्टाफ का आभार व्यक्त किया गया।

तदुपरांत सभी आगन्तुक, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, तथा उपस्थित अमानतदारों, सदस्य महानुभावों को 'भोजन' करवाये जाने के उपरांत बैंक की वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न हुयी।

तदुपरान्त सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

हस्ताक्षर  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
व्यव. एवं औद्योग. सह.  
बैंक लि. मुरैना



मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
व्यवसायिक एवं औद्योगिक सहकारी  
बैंक लि० मुरैना (म०प्र०)

हस्ताक्षर  
अध्यक्ष  
व्यव. एवं औद्योग. सह.  
बैंक लि. मुरैना